



# राजस्थान आवासन मण्डल

जयपुर की इन्दिरा गांधी नगर (जगतपुरा) एवं  
मालवीय नगर, जयपुर में

व्यावसायिक, रिहायशी भूखण्डों / निर्मित दुकानों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

मोहरबन्द निविदा प्राप्त करने की तिथि  
05.02.2009 से 09.02.2009  
दोपहर 12.00 बजे तक  
कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में

**भव्य नीलामी**

मोहरबन्द निविदा खोलने की तिथि  
09.02.2009  
दोपहर 2.00 बजे

क्र. सं.	योजना का नाम	मोहरबंद नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर	न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रति वर्ग मीटर/प्रत्येक (रुपये)	बिड के साथ संलग्न की जानी वाली अमानत राशि रु.	सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आरक्षित वर्ग
----------	--------------	---	---------------------	---	---	---

## इन्दिरा गांधी नगर, सैक्टर 3, जयपुर में निर्मित दुकानें (Basement+G.F.+M.F.)

1	-Do-	S-42	3.60x6.00 = 21.60	1200000/- प्रति दुकान	50000/-	-
2	-Do-	S-44	3.60x6.00 = 21.60	1200000/- प्रति दुकान	50000/-	-
3	-Do-	S-50	3.60x6.00 = 21.60	1800000/- प्रति दुकान	50000/-	-

## मालवीय नगर, जयपुर में उपलब्ध व्यावसायिक / आवासीय भूखण्ड

1	-Do-	6/26	3.00x4.50 = 13.50	35000/- प्रति वर्ग मी०	47250/-	अनुसूचित जाति
2	-Do-	6/50	3.00x4.50 = 13.50	35000/- प्रति वर्ग मी०	47250/-	अनुसूचित जनजाति
3	-Do-	9/58 Corner	3.60x6.00 = 21.60	40500/- प्रति वर्ग मी०	50000/-	
4	-Do-	9/150	3.00x6.00 = 18.00	40000/- प्रति वर्ग मी०	50000/-	
5	-Do-	Res. Plot 4/165 B	225.73	12000/- प्रति वर्ग मी०	50000/-	

### निर्धारित प्रारूप

आवेदक का फोटो नोटरी/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित

### निविदा प्राप्ति अधिकारी :-

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय,  
राजस्थान आवासन मण्डल, जवाहर सर्किल के पास,  
जे०एल०एन मार्ग, जयपुर 0141-2723844

### -: सम्पर्क सूत्र:-

मालवीय नगर की सम्पत्ति हेतु	इन्दिरा गांधी नगर की सम्पत्ति हेतु
आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, मालवीय नगर, जयपुर 0141-2550472, 9828109455	आवासीय अभियन्ता, खण्ड-र्यारह राजस्थान आवासन मण्डल, 1-एच-78, इन्दिरा गांधी नगर (जगतपुरा), जयपुर 9828127727

निविदादाता का नाम .....  
पत्र व्यवहार का पता .....  
स्थायी पता .....  
आयकर का पेन नम्बर .....  
मालवीय नगर/इन्दिरा गांधी नगर व्या०मु०सं०/निर्मित दुकान संख्या (जिसके लिए मोहरबंद निविदा प्रेषित की जा रही है) सैक्टर .....  
बोली रु०/वर्ग मी०...../.....  
रु. ....  
द्वितीय संख्या .....  
दिनांक .....  
बैंक का नाम .....

हस्ताक्षर निविदादाता

**मुहरबंद प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया :-** 1. नीलामी में भूखण्ड/दुकान/कियोस्क क्रय करने के इच्छुक क्रेता अपने प्रस्ताव क्रय राशि दर्शाते हुए मुहरबंद निर्धारित प्रपत्र में भरकर बंद कर लिफाफे में वृत्त-तृतीय कार्यालय में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करेंगे। लिफाफे पर जिस भूखण्ड हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उस भूखण्ड का विवरण/नम्बर स्पष्ट लिखना एवं प्रस्ताव प्रपत्र पर आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साईज फोटो नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर लगाया जाना आवश्यक है। 2. क्रेता को उपरोक्त सारणी में वर्णित अमानत राशि का ड्राफ्ट जो "राजस्थान आवासन मण्डल" के पक्ष में जयपुर स्थित बैंक शाखा में देय हो संलग्न करना होगा।  
**मुहरबंद नीलामी की शर्तें :-** निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त मुहरबंद प्रस्तावों को खोला नहीं जावेगा एवं ऐसे सभी प्रस्ताव निरस्त समझे जावेंगे। 2. अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट रहित प्रस्ताव निरस्त किये जाएंगे चाहे उनमें प्रस्तावित क्रय मूल्य अधिकतम ही क्यों न हो। 3. सशर्त विक्रय प्रस्ताव सीधे ही निरस्त समझे जायेंगे। 4. प्राप्त प्रस्ताव उपस्थित प्रस्तावकों एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मण्डल द्वारा गठित अधिकृत समिति द्वारा दिनांक 09.02.2009 को दोपहर 2.00 बजे वृत्त-तृतीय कार्यालय में खोले जावेंगे। 5. अधिकतम मूल्य के प्रस्ताव देने वाले निविदादाता को उच्चतम क्रय मूल्य की प्रस्ताव के साथ जमा अमानत राशि को समायोजित करते हुए 25 प्रतिशत राशि 24 घण्टे की अवधि में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। उक्त निर्धारित दिवस पर अपरिहार्य कारणों से राजकीय अवकाश होने की अवस्था में यह राशि अगले दिवस में जमा करानी होगी। 6. निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में अमानत राशि सहित सभी जमा राशियाँ जब्त करते हुए संबंधित निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। 7. किसी भी मुहरबंद प्रस्ताव/सभी प्रस्तावों को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 8. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध सम्पत्ति हेतु मोहरबंद प्रस्ताव सम्बन्धित निविदा प्राप्ति अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जावेंगे यदि किसी योजना में उपलब्ध भूखण्ड का प्रस्ताव निर्दिष्ट निविदा प्राप्ति अधिकारी को नहीं देकर किसी अन्य अधिकारी को दिया जाता है तो उसे निरस्त माना जायेगा। 9. आवंटन पत्र में स्वीकृत निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियाँ (लीज राशि, अन्य विविध चार्ज इत्यादि) की भी मांग की जावेगी। 10. निविदा स्वीकृति पश्चात् आवंटन पत्र जारी किया जायेगा जिसकी मांग राशि पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर जमा करानी होगी, अन्यथा जमा राशियाँ जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। 11. प्रस्तावित मूल्य रु. 05.00 लाख से अधिक होने पर आवेदक को आयकर का पेन नम्बर लिखना अनिवार्य है। 12. एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में निविदा खोली नहीं जायेगी अथवा मान्य नहीं होगी। 13. अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति के लिए आरक्षित सम्पत्ति के आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।